

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर**  
क्रमांक.— नर्सिंग / फार्मासिस्ट / एन-70 / 2019 / दिनांक.

—:आदेश:—

श्री नरेश कुमावता, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआ (भीलवाडा) का दिनांक 17.06.2019 से 22.06.2019 तक कुल 06 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश सख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

—Sd—

(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक.— नर्सिंग / फार्मासिस्ट / एन-70 / 2019 / 325

दिनांक 28-08-2019

प्रतिलिपि — निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा को उनके पत्र क्रमांक 4775 दिनांक 10.07.2019 के सदर में प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुरिता में किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2 सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 3 आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर